भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 686

बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की चुनौतियाँ</u>

686. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़े स्तर वाली सौर, पवन और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के लिए बंजर भूमि और गैर-कृषि भूमि के उपयोग को बढ़ावा देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पारिस्थितिक संतुलन से समझौता किए बिना पर्यावरणीय मंजूरी मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए स्थानीय समुदायों से परामर्श किया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): भूमि, राज्य का विषय है, इसलिए सौर/नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि की पहचान सामान्यत: संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से की जाती है। भूमि की पहचान और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, यह मंत्रालय सौर/नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उपयुक्त भूमि की पहचान करने और गैर-कृषि भूमि परिवर्तन आदि जैसे भूमि नियमों को आसान बनाने के लिए कई अवसरों पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखता रहा है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, प्रदूषण भार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, फोटोवोल्टेक सेल और पवन विद्युत के माध्यम से सौर विद्युत उत्पादन श्वेत श्रेणी (White category) के अंतर्गत आता है, जो उन औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित है जो व्यावहारिक रूप से गैर-प्रदूषणकारी हैं। अतः, सौर प्रकाशवोल्टेक विद्युत परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।

"सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" की योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को देश में सौर पार्कों की स्थापना के लिए सरकारी अपशिष्ट/गैर-कृषि भूमि के उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(घ) भूमि, राज्य का विषय है और अधिकांश सौर और पवन विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र द्वारा विकसित की जा रही हैं। इसलिए, डेवलपर संबंधित राज्य की भूमि अधिग्रहण और पट्टे की नीति के अनुसार भूमि का अधिग्रहण करता है।

इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए स्थानीय समुदायों से परामर्श किया जाता है और उन्हें पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार), (RFCTLARR) अधिनियम 2013 का उद्देश्य न्यूनतम व्यवधान के साथ निष्पक्ष, पारदर्शी और मानवतापूर्ण भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करना, मुआवजा और उचित पुनर्वास प्रदान करना है ताकि प्रभावित लोग विकास में भागीदार बन सकें और अधिग्रहण के बाद उनके जीवन-स्तर में सुधार हो सके। तदनुसार, प्रभावित परिवारों को सूचित करने और उन्हें शामिल करने के लिए जन सुनवाई और सामाजिक प्रभाव आकलन आयोजित किए जाते हैं। सिंचाई या जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के मामले में, सार्वजनिक उद्देश्य के दृष्टिगत, अधिग्रहित भूमि के जलमग्न होने से छह माह पूर्व ही पुनर्वास और पुनर्स्थापन पूरा किया जाएगा। साथ ही, संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से प्रभावित परिवारों को जलाशयों में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जा सकता है।

*****